निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररुप 21ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए,जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

वामनवास (91)अ.जा. विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र से राजस्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि श्रीमती इन्द्रा ग्राम खेडा पोस्ट लाखनपुर तहसील यौंली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान (जो इंडियन नेशनल कॉग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/ की गई।) उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचन हो गए/गई है।

स्थान :- सवाई माधोपुर तारीख:- 11.12.2018

> (दीपांशु सांगवान) रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.एम.) विधानसभा क्षेत्र वामनवास–91

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act.1951

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State (state/Union territory) from BAMANWAS (91) ST Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Indra (Name) Village Kheda, Post Lakhanpur, Tehsil Bonli district sawai madhopur rajsthan (address) Indian national Congress ¹[sponsored by (Name of the recognised/registered political)] has been duly elected to fill the seat in the Legislative Assembly above constituency.

Place: Sawai Madhopur

Date 11.12.2018

(Deepanshu Sangwan) returning Officer(SDM) Bamanwas (91)ST